इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 7 | फरवरी, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

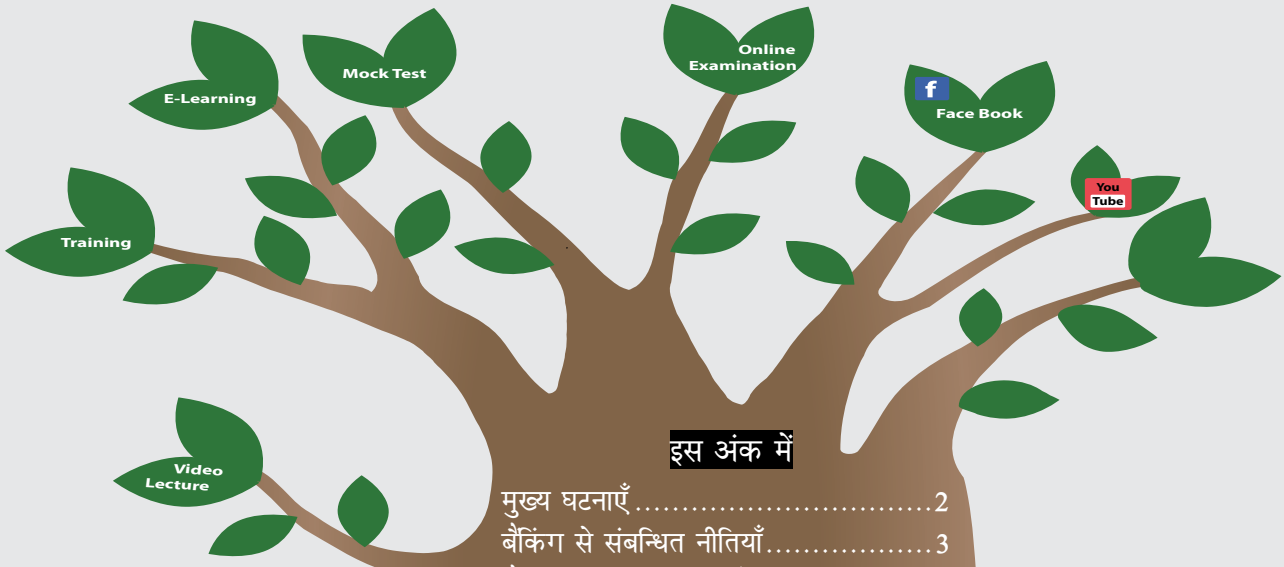

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
बीमा.....4
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....4
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....5
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....6
बाजार की खबरें.....7
नयी पहलकदमी.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- विकास के चार इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश तथा निर्यात हैं।
- नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कोई कर नहीं देय है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार प्रलेखीकरण तथा वित्तीय समाधानों हेतु एकीकृत प्लेटफार्म के रूप में एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- एमएसएमई को गारंटी कवर सहित ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है।
- पीएम स्वनिधि को नया रूप दिया जाना है जिसमें बैंकों तथा यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) संबद्ध क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपए की बढ़ी सीमा तक ऋण उपलब्ध होगा।
- स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा स्थापित करेंगे।
- अवसंरचना हेतु कॉर्पोरेट बांड के लिए नैबफिड में आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित की जाएगी।
- बीमा के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है।
- वित्तीय क्षेत्र में आधुनिक, लचीले, जनानुकूल व विश्वास आधारित ढांचे के विकास के लिए चार खास उपाय प्रस्तावित हैं जो हैं- विनियामक सुधारों के लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन, राज्यों के निवेश अनुकूलता सूचकांक की शुरुआत, वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) के तहत मूल्यांकन तंत्र का निर्माण और जन विश्वास बिल 2.0 में सुधार लाना।

सीमा-पार रुपया संव्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु फेमा दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

सीमा-पार रुपए तथा अन्य स्थानीय/राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा-पार संव्यवहारों को बढ़ावा देने हेतु फेमा दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कतिपय संशोधन किए हैं।

इन संशोधनों के अनुसार:

- भारत में निवासियों के साथ सभी अनुमत चालू व पूंजी खाता संव्यवहारों का निपटान संभव करने के उद्देश्य से, अधिकृत डीलर बैंकों की ओवरसीज शाखाएँ अब भारत के बाहर के निवासियों हेतु भारतीय रुपया (आईएनआर) खाता खोल सकती हैं।
- व्यापार संव्यवहारों का निपटान करने, निर्यातों की आगम राशि प्राप्त करने तथा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर आयातों हेतु इस राशि का उपयोग करने के लिए भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेश में विदेशी मुद्रा खाते खोले जा सकते हैं।

सेबी का एसआईएफ उच्च मालियत वाले निवेशकों को नवोन्मेषी निवेश माध्यम उपलब्ध कराएगा

उच्चतर जोखिम वहन क्षमता वाले उच्च मालियत के निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विशेषीकृत निवेश निधि (Specialized Investment Fund or एसआईएफ) प्लेटफार्म लेकर आया है जिस पर केवल 10 लाख रुपए से ऊपर के निवेश की अनुमति होगी। इस टेलर्ड निवेश में एक एसआईएफ के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के अधिकतम 20% का निवेश एकल जारीकर्ता द्वारा जारी गैर-निवेश श्रेणी कर्ज लिखतों में करने की अनुमति दी जाएगी। इस नियम के अपवाद सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs), राजकोषीय बिल तथा इन लिखतों को शामिल करने वाले त्रिपक्षीय रेपो हैं।

एसआईएफ रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) तथा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvITs) में भी निवेश कर सकते हैं लेकिन यह निवेश रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट के एकल जारीकर्ता द्वारा जारी यूनिटों के 20% की उच्चतम सीमा जिसमें म्युचुअल फंड योजनाओं पर पहले से लागू 10% की अधिकतम सीमा शामिल है, के भीतर होगा।

पारदर्शिता बढ़ाने हेतु म्युचुअल फंड फोलियो, डिमेट खातों को सेबी द्वारा संशोधित नामांकन दिशानिर्देश जारी

1 मार्च 2025 से म्युचुअल फंड फोलियो तथा डिमेट खाते सेबी द्वारा जारी संशोधित नामांकन प्रक्रिया का पालन करेंगे ताकि अदावी आस्तियों में कमी आए और पारदर्शिता बढ़े। तदनुसार, निवेशकों को खाते/फोलियो में 10 व्यक्तियों तक का नामांकन करने की अनुमति होगी। निवेशक प्रत्येक नामांकिती हेतु प्रतिशत आवंटन भी निर्दिष्ट कर सकेंगे। संयुक्त खातों की आस्तियों को पूर्व में किए गए नामांकन अथवा परिचालन विधि को प्रभावित न करते हुए उत्तरजीवी धारकों को अंतरित कर दिया जाएगा।

संशोधित प्रणाली में शामिल दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता नामांकन प्रस्तुत या अद्यतन करने हेतु डिजिटल तथा भौतिक माध्यमों का समावेश है।

सेबी का म्युचुअल फंड्स को अधिदेश: निवेशकों की निर्णय प्रक्रिया के सशक्तिकरण के लिए जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआर) हेतु सूचना अनुपात (आईआर) का खुलासा करें

सेबी ने आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को कहा है कि वे इक्विटी उन्मुख योजनाओं के लिए सूचना अनुपात, जिसका उपयोग म्युचुअल फंड योजनाओं के जोखिम समायोजित प्रतिफल के मापन हेतु किया जाता है, का खुलासा अपनी वेबसाइट पर दैनिक आधार पर करें। दैनिक प्रकटन से अधिक पारदर्शिता आएगी एवं निवेशक बेहतर निवेश निर्णय ले सकेंगे।

एएमसी तथा एएमएफआई निवेशकों को आरएआर, आईआर एवं योजना के प्रदर्शन के मूल्यांकन में इनके महत्व के विषय में शिक्षित करने हेतु समुचित कदम उठाएंगे।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

ग्राहकों की ऋण जानकारी पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मास्टर निदेश जारी

ऋण जानकारी रिपोर्ट प्रसारित करने तथा संवेदनशील ऋण डेटा की गोपनीयता व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मानकीकृत ढांचा स्थापित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की ऋण जानकारी रिपोर्ट करने पर मास्टर निदेश जारी किए हैं।

- मास्टर निदेश के अनुसार, जब भी किसी निर्दिष्ट उपयोगकर्ता (एसयू) द्वारा एक ग्राहक की ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) देखी जाती है तो ऋण सूचना कंपनी (सीआईसी) द्वारा एसएमएस/ई-मेल के जरिए ग्राहक को एलर्ट भेजना होगा।
- डेटा शुद्ध करने हेतु ग्राहक का अनुरोध बैंकों तथा एनबीएफसी सहित यदि किसी ऋण संस्था (सीआई) के द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, तो उन्हें इस अस्वीकृति का कारण ग्राहक को सूचित करना होगा।
- सीआई/सीआईसी के यहाँ शिकायत शुरुआती तौर पर दायर करने की तिथि के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर यदि ग्राहक की शिकायत का समाधान नहीं किया जाता, तो शिकायतकर्ता ग्राहक 100 रुपए प्रति कैलेंडर दिवस की दर से क्षतिपूर्ति पाने का पात्र होगा।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी व ऋणी के बीच समझौतों पर अधिक कड़ी निगरानी रखने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियमों में संशोधन

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को ऋणियों द्वारा देय बकायों हेतु समझौता प्रक्रिया को सुगम करने और सख्त बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक नया ढांचा लागू किया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक एआरसी के लिए अनिवार्य है कि वह एकबारगी समझौतों हेतु पात्रता मानदंड, एक्सपोजर श्रेणी आधारित अनुमत अधित्यागों एवं प्रतिभूतियों का वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रक्रियाओं जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का समाधान कर ऋणी पर बकायों के निपटान पर लागू बोर्ड-अनुमोदित नीति अमल में लाएँ।

1 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया देयों वाले ऋणियों हेतु समझौते एक स्वतंत्र परामर्शी समिति द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद ही आगे बढ़ सकेंगे। 1 करोड़ रुपए से कम के बकायों हेतु समझौता मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन, बोर्ड-अनुमोदित नीति में दिए मानदंड के अनुसार किया जा सकता है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

विनियमित संस्थाएं साइबर धोखाधड़ियों को रोकने हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की एमएनआरएल प्रौद्योगिकी का उपयोग करें: भारतीय रिज़र्व बैंक

मोबाइल नंबरों के दुरुपयोग में कमी लाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं को निम्न के लिए सूचित किया है:

- दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म (DIP) पर उपलब्ध मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (एमएनआरएल) का उपयोग कर अपने ग्राहक डेटाबेस की निगरानी व सफाई करें। यह बैंक खातों को मनी म्यूल के रूप में उपयोग किए जाने तथा साइबर धोखाधड़ियों में इस्तेमाल होने से बचा सकता है।
- डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म को अपने ग्राहक सेवा नंबरों का सत्यापित विवरण उपलब्ध कराएं ताकि दूरसंचार विभाग इन्हें 'संचार साथी' पोर्टल पर प्रकाशित कर सके।
- लेनदेन/सेवा संबंधित काल्स केवल '1600xx' संख्या वाली शृंखला तथा प्रोमोशनल वायस काल्स केवल '140xx' संख्या वाली शृंखला का उपयोग कर की जाएँ।

बैंक और एनबीएफसी जमा खातों में नामांकन लेने में तेजी लाएँ: भारतीय रिज़र्व बैंक

मृतक जमाकर्ताओं के उत्तरजीवियों/परिवार सदस्यों को असुविधा एवं अनावश्यक कठिनाई से बचाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि जमा खाते, सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुएं तथा सुरक्षित लॉकर रखने वाले सभी वर्तमान

एवं नए ग्राहकों हेतु नामांकन विवरण लिए जाएँ। बैंकों को यह भी कहा गया है कि नामांकन सुविधा के लाभों का व्यापक प्रचार करें एवं जमा खाता धारकों का इस विषय में मार्गदर्शन करें। बैंकों को सूचित किया गया है कि सीधे संवाद के साथ विभिन्न मीडिया माध्यमों का उपयोग करें तथा नामांकन सुविधा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु समय-समय पर अभियान चलाएं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली कानून के तहत मौद्रिक दंड सख्त कर दिए हैं

केंद्रीय बैंक द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही को विवेकीकृत तथा समेकित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक दंड लगाने एवं भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम) के तहत अपराध शमन हेतु मानदंड सख्त कर दिए हैं। तदनुसार, निषिद्ध सूचना का प्रकटन, बिना अनुमति के भुगतान प्रणाली संचालित करना और लगाए गए दंड को दी गई समय सीमा के भीतर न चुकाना; पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही केवल वस्तुत: उल्लंघनों हेतु मौद्रिक दंड या अपराध शमन के संदर्भ में प्रवर्तन कार्यवाही की जाएगी। दंड की राशि आनुपातिकता के सिद्धांतों, इरादे तथा न्यूनकारी कारकों, यदि कोई हो; पर आधारित हो सकती है।

बीमा

आईआरडीएआई का बीमाकर्ताओं को निर्देश: वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रीमियम में एक वर्ष में 10% से अधिक की वृद्धि न करें

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य व सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रीमियम में एक वर्ष में 10% से अधिक की वृद्धि का निषेध कर दिया है।

यदि किसी वजह से, एक बीमाकर्ता इस सीमा से आगे प्रीमियम बढ़ाना चाहता है अथवा वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद वापस लेना चाहता है, तो इस विषय में उन्हें आईआरडीएआई से परामर्श करना तथा उसे सूचित करना होगा।

वरिष्ठ नागरिकों को और लाभ देने हेतु, बीमाकर्ताओं को कहा गया है कि वे मानकीकृत अस्पताल सूचीकरण को अपनाएं तथा प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की तर्ज पर पैकेज दरों का सौदा करें। आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं को वरिष्ठ नागरिकों हेतु किए गए सभी उपायों का व्यापक प्रचार करने को भी कहा है।

विनियामक के कथन

विनियमित संस्थाओं की बढ़ी ऋण वृद्धि संरचनात्मक तरलता समस्या उत्पन्न कर सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री राव

हाल के समय में, बैंको के ऋणों में उनकी जमाराशियों की तुलना में तीव्रतर वृद्धि हो रही है जिसके कारण ऋण संवितरण हेतु थोक निधियन पर उनकी निर्भरता बढ़ गई है। मिंट वार्षिक बीएफएसआई समिट एंड अवार्ड्स समारोह में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई क्योंकि यह संभावित संरचनात्मक तरलता समस्याओं का द्योतक है। इसके साथ जमाराशियों का संस्थानीकरण बैंकों के आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) हेतु विशेष चुनौतियाँ लेकर आएगा। एनबीएफसी प्राथमिक रूप से उधार (विशेषत: डिबेंचरों तथा बैंक ऋणों के जरिए) पर आश्रित होते हैं क्योंकि उनकी पहुँच सार्वजनिक जमाराशियों तक नहीं होती। इसकी वजह से उनकी देयताएँ बैंकों की तुलना में ब्याज दर बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाती हैं।

आगे उन्होंने विनियमित संस्थाओं को सुझाव दिया कि वे अपनी जटिलता, जोखिम प्रोफाइल एवं वित्तीय प्रणाली में भूमिका से जुड़ी औपचारिक आकस्मिक निधियन योजनाएं (CFP) निर्मित करें।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा मासिक आर्थिक समीक्षा, नवंबर 2024 की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 5.4% की वृद्धि हुई जिसके चलते वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 6% की वृद्धि हुई।
- वर्तमान मूल्यों पर निवेश जो सकल नियत पूंजी निर्माण (GFCF) से दर्शाया जाता है, वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 30.8% तथा वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में जीडीपी के 31% पर स्थिर बना रहा।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में अप्रैल से अक्तूबर तक वर्षानुवर्ष 4% की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा, पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 6% की वृद्धि की तुलना में इस बार वृद्धि 7.1% रही।

- अक्तूबर 2024 के 6.2% के मुक़ाबले नवंबर 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घट कर 5.5% पर आ गई।
- 2024 की तीसरी तिमाही में वैश्विक वस्तु निर्यात एवं आयात सूचकांक में क्रमश: 3.5% तथा 3% की बढ़ोत्तरी हुई।
- नवंबर 2024 की दूसरी छमाही में निवल एफपीआई अंतर्वाह 967.1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया जबकि माह के पूर्वार्द्ध में 3218.2 मिलियन अमरीकी डॉलर का बहिर्वाह हुआ।
- वित्त वर्ष 25 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को पुनर्जीवन मिला और इसमें वर्षानुवर्ष 15.5% की वृद्धि हुई।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	31 जनवरी, 2025 के दिन करोड रुपए	31 जनवरी, 2025 के दिन मिलियन अमरीकी डॉलर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5461741	630607	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4656917	537684	
1.2 सोना	614007	70893	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	154942	17889	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	35875	4141	

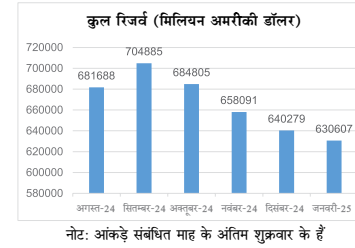

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

31 जनवरी 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) हेतु वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) की आधार दरें- फरवरी 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	दर
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.35
SONIA (जीबीपी)	4.7006
STR (यूरो)	2.923
TONA (जापानी येन)	0.477
CORRA (कनाडाई डॉलर)	3.3000
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.35
SARON (स्विस फ्रैंक)	0.453005

एआरआर	दर
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	4.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	2.379
SORA (सिंगापुर डॉलर)	2.9786
HONIA (हांगकांग डॉलर)	4.26327
MYOR (म्यांमार रुपया)	3.00
DESTR (डैनिश क्रोन)	2.5480

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

सूचना अनुपात (Information ratio or IR)

सूचना अनुपात (IR) किसी स्कीम पोर्टफोलियो के जोखिम समायोजित प्रतिफल (RAR) की माप करने हेतु एक वित्तीय अनुपात है। इसका इस्तेमाल प्राय: एक बेंचमार्क के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिफल उत्पन्न करने हेतु एक पोर्टफोलियो प्रबंधक के कौशल एवं सामर्थ्य स्तर की माप के रूप में होता है। यह गणनाओं में मानक जोखिम विचलन कारक को सम्मिलित कर प्रदर्शन की निरंतरता को निर्दिष्ट करने का प्रयास भी करता है।

सूचना अनुपात की गणना का सूत्र है: (प्रतिफल की पोर्टफोलियो दर - प्रतिफल की बेंचमार्क दर)/अतिरिक्त प्रतिफल का मानक विचलन

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production or IIP)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) चुने गए आधार वर्ष के संदर्भ में, एक समयावधि में औद्योगिक उत्पादन की चाल में प्रवृति के मापन हेतु आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है। यह एक चयनित आधार अवधि की तुलना में एक दी गई अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के समूह के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी 2025 में संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे-

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
बैंकों व वित्तीय संस्थानों में अनुशासन प्रबंधन, जांच तथा अनुशासनिक कार्यवाही/प्रक्रिया पर कार्यक्रम	11-13 फरवरी 2025	वर्चुअल
शाखाओं हेतु लाभ आयोजना व टर्नअराउंड रणनीतियों पर कार्यक्रम	12-13 फरवरी 2025	लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, कुर्ला (प) मुंबई
ऋणमूल्यांकन, निगरानी और वसूली पर कार्यक्रम	12-14 फरवरी 2025	वर्चुअल
केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के विशेष संदर्भ में बैंकों/एनबीएफसी/वित्तीय संस्थानों/लघु वित्त बैंकों में अनुपालन संस्कृति सुधारने पर कार्यक्रम	13-15 फरवरी 2025	
ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पर कार्यक्रम	13-15 फरवरी 2025	
डिजिटल डॉमिनेंस-ऑनलाइन मार्केटिंग की कला में मास्टरी पर कार्यक्रम	14-15 फरवरी 2025	
ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पर कार्यक्रम	18-19 फरवरी 2025	
तुलन पत्र अध्ययन एवं अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	18-19 फरवरी 2025	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों हेतु सरकारी कारोबार के बदलते परिप्रेक्ष्य पर कार्यक्रम	20-21 फरवरी 2025	

संस्थान समाचार

'बजट 2025: विकास को गति देने हेतु नवीन पहल' पर आईआईबीएफ द्वारा वेबिनार का आयोजन

सदस्यों हेतु शिक्षा शृंखला के अंग के रूप में संस्थान बैंकिंग व वित्त के पेशेवरों के लाभ हेतु बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र से जुड़े विषयों पर वेबिनार आयोजित करता रहता है। बजट 2025 में घोषित हाल के कदमों के मद्दे नज़र, आईआईबीएफ ने 10 फरवरी 2025 को 'बजट 2025: विकास को गति देने हेतु नवीन पहल' पर वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार में वक्ता प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. सी. वीरामणि, निदेशक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ थे।

14वां आर. के. तलवार स्मृति व्याख्यान

भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिल कर आयोजित किया जाने वाला 14वां आर. के. तलवार स्मृति व्याख्यान एसबीआई सभागार, नरीमन पॉइंट, मुंबई में 27 फरवरी 2025 को होगा, जिसमें वक्ता श्री एम. नागराजू, सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय होंगे।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र के विभिन्न वर्टिकल में सभी प्रमुख घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों तथा विनियामक बदलावों का विस्तृत डाइजेस्ट है। अमेजॉन पर यह पुस्तक पेपरबैक तथा किंडल संस्करण में उपलब्ध है। यह प्रकाशक मेसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा विक्रेताओं से भी खरीदी जा सकती है।

अंतर-बैंक क्विज प्रतियोगिता-बैंकिंग चाणक्य का 4था संस्करण

आईआईबीएफ की मेजबानी में अंतर-बैंक क्विज प्रतियोगिता-बैंकिंग चाणक्य-2024 मुंबई में 18 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। उत्तर जोन से टीम एसबीआई ने 1,00,000/- रुपए की पुरस्कार राशि के साथ चैंपियनशिप जीती। रनर अप टीम, पश्चिम जोन से टीम आरबीआई रही। पूर्वी जोन से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीम तीसरे तथा दक्षिण जोन से केनरा बैंक की टीम चौथे स्थान पर रही।

आईआईबीएफ द्वारा सूक्ष्म व व्यापक शोध 2024-25 हेतु पेपर/प्रस्ताव आमंत्रित

सूक्ष्म शोध, संस्थान के आजीवन सदस्यों (बैंकरों) हेतु एक प्रकार की निबंध प्रतियोगिता है जिसमें उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों पर अपनी मौलिक सोच, विचारों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करना होता है। व्यापक शोध में, संस्थान व्यावहारिक शोध को प्रोत्साहित करता है जिसमें शोधकर्ता डेटा (प्राथमिक/द्वितीयक) के जरिए अपनी परिकल्पना को परख सकते हैं जिससे समग्रत: बैंकिंग व वित्त उद्योग हेतु सबक सीखे जा सकते हैं। सूक्ष्म व व्यापक शोध हेतु अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है। अधिक विवरण www.iibf.org.in पर उपलब्ध हैं।

आईआईबीएफ द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु डायमंड जुबिली तथा सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

संस्थान ने डायमंड जुबिली तथा सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थियों को भारत या विदेश में बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है। विस्तृत विवरण के लिए www.iibf.org.in पर जाएँ।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

जनवरी–मार्च 2025 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'साइबर धोखाधड़ी प्रबंधन' रखा गया है।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने व्यवस्था बनाई है कि विनियामकों द्वारा सूचित हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्र में शामिल करने के उद्देश्य से विनियामक(कों) द्वारा केवल 30 जून 2024 तक जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग जगत की इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

बाजार की खबरें

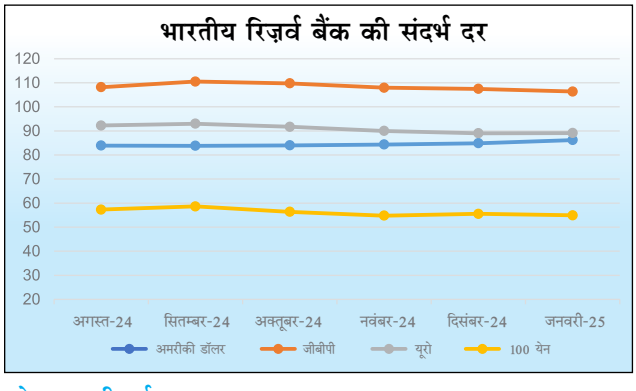

स्रोत: एफबीआईएल

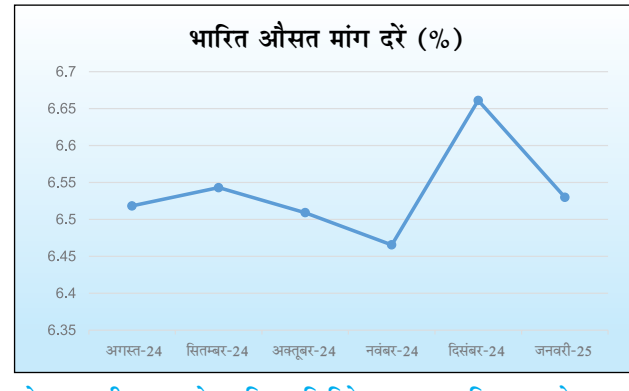

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

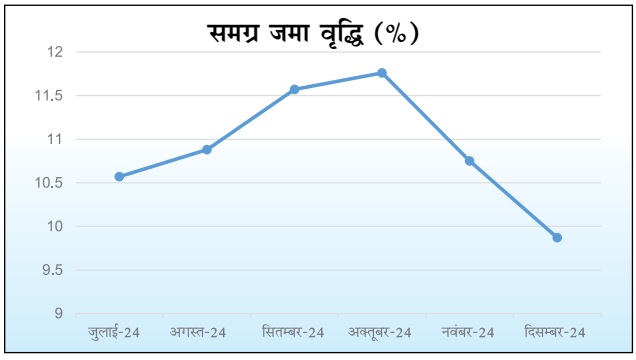

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2025

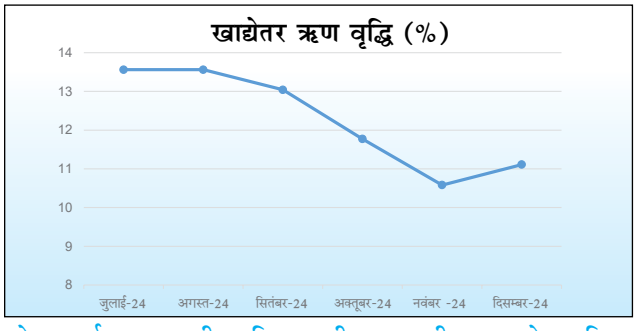

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2025

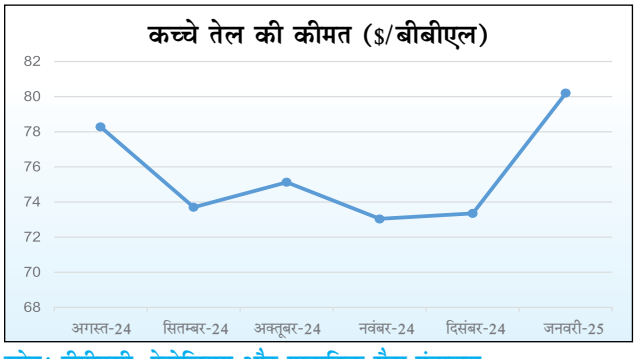

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

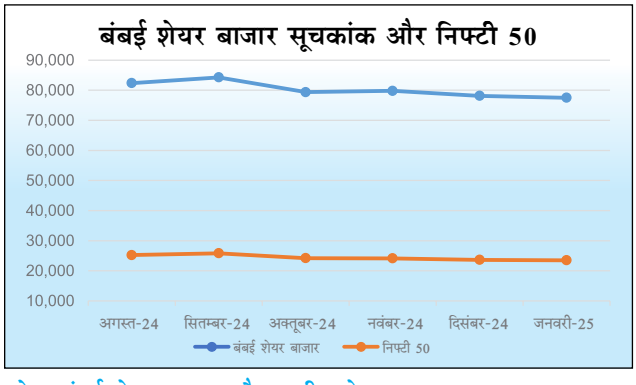

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

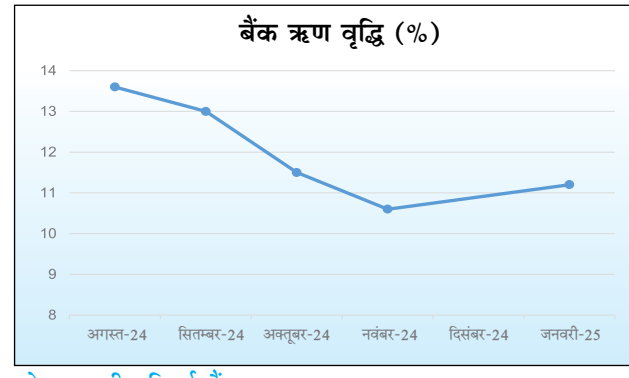

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

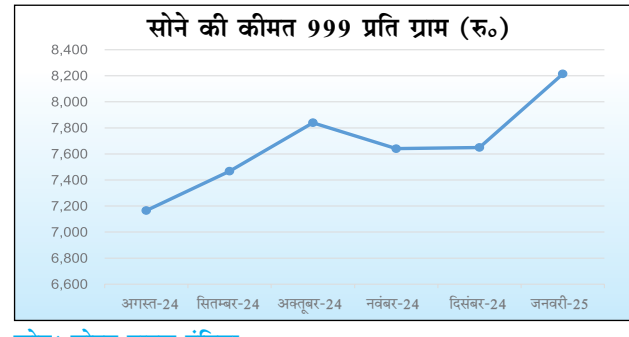

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in